यालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

ठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2022/193

दायरा तिथि : 01.06.2022

प्राथमिक डिक्री दिनांकः 22-06-22

वादीगण :–

1. देवीसिंह पुत्र अर्जुनसिंहजी जाति राजपूत निवासी जाखोडा तहसील सुमेरपुर
2. कन्हैयालाल पुत्र गणेशजी जाति नायडू निवासी कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर
3. रामेश्वरसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी अणगोर तहसील सुमरेपुर
4. आदित्यराजसिंह पुत्र राजेन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर
5. धीरा अमराराम पुत्र धीराराम जाति सीरवी निवासी Bazaar Street Tara Jewellers Pate, Ward no.16 Malavalli Town, Malavalli, Mandya Karnataka 571430 हाल–बगडी पाली
6. सेसाराम सीरवी पुत्र टीकमरामजी सीरवी जाति सीरवी निवासी बेरा परिहारों का नोखडा अखंडी स्कूल के पास बगडी पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मधु पत्नी रमेश, जाति जैन निवासी उदयपुर, श्रीनाथ होटल, कोर्ट चौराया के पास, उदयपुर
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थितिः–

1. श्री चन्द्र कांत वैष्णव व श्री रताराम राठौड .... अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या–02..................अनुपस्थित।
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.................. पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 22-06-22

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2599/127 रकवा 2.9500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 20.6500 रूपये तथा खसरा नंबर 2600/127 रकबा 13.1100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 91.7700 रूपये संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 भूमि के रेकर्ड में दर्ज वादी सं. 1 का 1/33 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/33 हिस्सा वादी सं. 3 का 2/33 हिस्सा वादी सं. 4 का 2/33 हिस्सा वादी सं. 5 का 1/11 हिस्सा वादी सं. 6 का 1/11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 7/11 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–01 को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी किये जाने पर सम्मन तामील के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहे। जिससे प्रतिवादी संख्या–01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये। प्रतिवादी संख्या–02 तहसीलदार, बाली विभाजन के वाद फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से इनका जवाबदावा का अवसर बंद किया गया। वकील वादीगण श्री चन्द्रकांत वैष्णव ने प्रतिवादी संख्या–01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश होने से वादग्रस्त भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2599/127 रकवा 2.9500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 20.6500 रूपये तथा खसरा नंबर 2600/127 रकवा 13.1100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 91.7700 रूपये संबध के रेकर्ड में दर्ज वादी सं. 1 का 1/33 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/33 हिस्सा वादी सं. 3 का 2/33 हिस्सा वादी सं. 4 का 2/33 हिस्सा वादी सं. 5 का 1/11 हिस्सा वादी सं. 6 का 1/11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 7/11 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2599/127 रकवा 2.9500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 20.6500 रूपये तथा खसरा नंबर 2600/127 रकवा 13.1100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 91.7700 रूपये संबध के रेकर्ड में दर्ज वादी सं. 1 का 1/33 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/33 हिस्सा वादी सं. 3 का 2/33 हिस्सा वादी सं. 4 का 2/33 हिस्सा वादी सं. 5 का 1/11 हिस्सा वादी सं. 6 का 1/11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 7/11 हिस्सा दर्ज होने की पुष्टि होती है, तथा वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा भी इसी अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने की दलील दी जा रही है। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वाद मे वर्णित भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2599/127 रकवा 2.9500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 20.6500 रूपये तथा खसरा नंबर 2600/127 रकवा 13.1100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 91.7700 रूपये संबध के रेकर्ड में दर्ज वादी सं. 1 का 1/33 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/33 हिस्सा वादी सं. 3 का 2/33 हिस्सा वादी सं. 4 का 2/33 हिस्सा वादी सं. 5 का 1/11 हिस्सा वादी सं. 6 का 1/11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 7/11 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो में विभाजन के समय राजस्थान

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला–पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2022/193
अनवान देवीसिंह वगैरा बनाम मधु वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 66, 67, 68 के प्रावधानो तथा राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमॉकः रा.म./न्याय/स्था./प–51/2008/ विविध/ 10546 दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 में वर्णित निर्देशो की पालना की जावे एवं साथ ही प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट में आई भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा नंबर, रकबा, किस्म, लगान ईत्यादि दर्शाया जावे। तथा प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते आदि की सुविधाओ को भी ध्यान में रखा जावे। प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि तथा शामलात में रखी गई भूमि को नजरी नक्शे में पृथक–पृथक रंगो से दर्शाया जावे। नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जावे। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल बाद पी.डी. पालना दिनांक 06.07.2022 को पेश हो।

(सुश्री [illegible])
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिग्री बमुजबी बटवारा

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
पीठासीन [illegible] आई.ए.एस.

वादीगण :-

1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति राजपूत निवासी [illegible] तहसील सुमेरपुर
2. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील सुमेरपुर
3. [illegible] पुत्र [illegible] जाति राजपूत निवासी [illegible] तहसील सुमेरपुर
4. [illegible] पुत्र [illegible] जाति राजपूत निवासी [illegible] तहसील सुमेरपुर
5. [illegible] पुत्र [illegible] जाति चौधरी निवासी Bazaar Street Tara Jewellers Pate, Ward no.16 Malavalli Town, Malavalli, Mandya Karnataka 571430 हाल [illegible] पाली
6. [illegible] चौधरी पुत्र [illegible] चौधरी जाति चौधरी निवासी [illegible] के पास [illegible] पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मधु पत्नी रमेश, जाति जैन निवासी उदयपुर, श्रीनाथ होटल, कोर्ट चौराया के पास, उदयपुर
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण Gems No. 2022/193
वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते मुनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि :-

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वाद मे वर्णित भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2599/127 रकबा 2.9500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 20.6500 रूपये तथा खसरा नंबर 2600/127 रकबा 13.1100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 91.7700 रूपये राजस्व के रेकर्ड में दर्ज वादी सं. 1 का 1/33 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/33 हिस्सा वादी सं. 3 का 2/33 हिस्सा वादी सं. 4 का 2/33 हिस्सा वादी सं. 5 का 1/11 हिस्सा वादी सं. 6 का 1/11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 7/11 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो में विभाजन के समय राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 66, 67, 68 के प्रावधानो तथा राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: रा.म./न्याय/प्रथा. /प-51/2008/ विविध/ 10546 दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 में वर्णित निर्देशो की पालना की जावे एवं साथ ही प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट में आई भूमि का पृथक-पृथक ब्यौरा यथा खसरा नंबर, रकबा, किस्म, लगान इत्यादि दर्शाया जावे। तथा प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते आदि की सुविधाओ को भी ध्यान में रखा जावे। प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि तथा शामलात में रखी गई भूमि को नजरी नक्शे में पृथक-पृथक रंगो से दर्शाया जावे। नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जावे। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल बाद पी.डी. पालना दिनांक 06.07.2022 को पेश हो। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बराब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.06.2022 को जारी किया गया।

मोहर

(उपखण्ड अधिकारी)
आई.ए.एस.
बाली जिला पाली (राज.)
सहायक कलेक्टर एवं प्रथम
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner